राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....1983/2016..जिला...........जयपुर...

उनवान – चौपडा ब्रदर्स, 1014 अग्रवाल मार्केट, जयपुर बनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, षष्टम्, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री नत्थूराम, सदस्य**	
09.09.2016	**1.** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विवेक सिंघल एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.ओझा उपस्थित। **2.** यह अपील अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि रूपये 22,35,262/– के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 20,11,732/– पर चाहा गया स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया एवं स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अतः उन्होंने राशि रू0 20,11,732/– की वसूली को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक स्थगित रखे जाने का निवेदन करते हुए यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। **3.** प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में वेट 10ए में कन्साइन्मेन्ट खाते में ओपनिंग स्टॉक रूपये 15089495/– एवं माल प्राप्त रूपये 511802401/– दर्शाया गया है। विक्रय रूपये 487655901/– एवं माल वापसी रूपये 3482376/– दर्शाया है। ओपनिंग स्टॉक व माल प्राप्ति में से विक्रय तथा माल वापसी कम करने पर अन्तिम स्टॉक रूपये 35753619/– रहता है, जबकि व्यवहारी ने अन्तिम स्टॉक रूपये 5950110/– ही दर्शाया है। इस प्रकार क्लॉजिंग स्टॉक रूपये 29803509/– कम दर्शाया है। जिससे कर निर्धारण अधिकारी ने 5 प्रतिशत की दर से कर रूपये 1490175/– एवं ब्याज रूपये 745087/– आरोपित करते हुए राशि रूपये 2235262/– की मांग सृजित की। जिसको अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती देने पर अपीलीय अधिकारी ने आवेदित राशि रूपये 20,11,732/– के स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया। 4. उभयपक्षीय बहस सुनी गई। 5. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने आवेदित राशि को स्थगित नहीं किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है केवल मात्र स्थगन आदेश को अविधिक मानते हुए अस्वीकार किया है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक मांग राशि को स्थगित करने का अनुरोध किया। लगातार...........2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....1983 / 2016...जिला...........जयपुर...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2016	– 2 – 6. उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19.08.2016 का समर्थन करते हुए प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में प्रतीत होने के फलस्वरूप व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। 7. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन किया। इस प्रकरण में किसी प्रकार की विक्रय राशि अथवा विक्रय किये गये सामान को विवादित नहीं किया गया है। केवल मात्र क्लॉजिंग स्टॉक में अंकित राशि का विवाद है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 20,11,732/– की वसूली पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक अथवा 3 माह जो भी पहले हो, तक रोक लगाई जाती है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । 8. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 9. आदेश प्रसारित किया गया। (नत्थूराम) सदस्य 9.9.2016 (मदन लाल) सदस्य	